P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-7* October- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

73वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का सांगठनिक परिदृश्य

निधिकान्त सिंह
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान,
के0जी0के0 कॉलेज,
मुरादाबाद

अरूण कुमार गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
के0जी0के0 कॉलेज,
मुरादाबाद

सारांश

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत इस उद्देश्य से की गई कि जिससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण जन सहभागिता सुनिश्चित होगी परन्तु प्रारम्भ से ही ये संस्थाऐं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही इस सन्दर्भ में विभिन्न सरकारों द्वारा इनके सुधार के लिए अनेक प्रयास किये गये परन्तु इनकी स्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया जिससे इसके स्वरूप, संगठन और कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया गया जिससे ये संस्थाऐं सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक एवं जनसहभागिता को सुनिश्चित कर पायीं।

मुख्य शब्द : सामुदायिक विकास, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, जनसहभागिता, त्रिस्तरीय व्यवस्था, सर्वसहमति, उत्तरदायी।

प्रस्तावना

पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों की सरकारों ने पंचायती राज की स्थापना को विशेष ध्यान दिया, प्रो0 रजनी कोठारी के अनुसार ''राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य था। पंचायती राज की स्थापना, इससे भारतीय व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण से उनकी एकता बढ़ रही है।''[1] यह परिकल्पना गांधी की देन है। गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि गाँव की उन्नति व प्रगति में ही देश की उन्नति व प्रगति निर्भर है इसको आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी ने सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया उनका कहना था कि ''गाँव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियाँ करें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल न हो सका। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज की शुरूआत की सिफारिश की गयी। समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्यों ने अपने–अपने ढ़ंग से पंचायत राज संस्थाओं के गठन के लिए अधिनियम पारित किये। राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज की स्थापना 02 अक्टूबर 1959 को की। आगे चलकर अन्य राज्यों ने भी पंचायत राज्य की स्थापना की।

भारत एक बहुत बड़ा देश है। जहाँ की आर्थिक, सांस्कृतिक और सम्पूर्ण भारत में एक प्रकार की संस्था बनाना राजनीतिक रूप से समीचीन नहीं था। फिर यह परिकल्पना की गयी कि पंचायत राज त्रिस्तरीय होगा भारत के सुदूर दक्षिणी व सुदूर पूर्वी राज्यों के पंचायती सांगठनिक परिदृश्यों में उ0 प्र0, म0 प्र0 व बिहार राज्य से अन्तर दृष्टि गोचर होता है चूंकि सभी राज्यों ने अपनी राजनीतिक व भौगोलिक आवश्यकताओं को देखते हुए पंचायती राज का गठन किया गया है।

देश के विभिन्न भागों में पंचायती राज व्यवस्था की सांगठनिक संरचना एवं कार्यप्रणाली में बहुत अन्तर था तथा ये संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही थीं। इन संस्थाओं के पास वास्तविक शक्ति और उत्तदायित्व का अभाव था तथा इन्हें पर्याप्त संसाधनों का भी हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा था इसलिए ये संस्थायें अपने मूल उद्देश्य 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' एवं 'ग्रामीण जन–सहभागिता' को कार्यान्वित नहीं कर पा रही थीं। सन् 1977 में पंचायत राज व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र की जनता सरकार ने दिसम्बर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं पर एक समिति गठित की। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सशक्त और प्रभावशाली बनाने हेतु सिफारिशें प्रस्तुत की थी। समिति ने कतिपय नवीन रूचिपूर्ण और

अच्छे सामयिक सुझाव प्रस्तुत किये थे, किन्तु जनता सरकार के पतन के कारण ये सुझाव स्वीकार नहीं किये गये।

सन् 1980 के दशक के बीच बदलती हुई परिस्थितियों केन्द्र तथा राज्य सरकारों की पंचायत राज की भूमिका के विषय में रूचि बढ़ी। इन सरकारों ने पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास आरम्भ किये। फलस्वरूप इस दिशा में 1984 में केन्द्रीय स्तर पर गठित राजीव गांधी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस कदम के तरह प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को एक पत्र लिखकर कहा कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराए जायें और उनकी कार्य शैली में शीघ्र सुधार किए जाएँ। इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम केन्द सरकार द्वारा पंचायत राज को मजबूत करने के लिए सुझाव हेतु समितियों का गठन किया गया। एक समिति 1985 में जी0के0 वी0 राव और दूसरी समिति सन् 1986 में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की गयी। इन समितियों से अपनी रिपोर्ट क्रमशः दिसम्बर 1985 और नवम्बर 1986 को सरकार को प्रस्तुत कर दी जिसमें पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के सुझाव थे।

73 वाँ संविधान संशोधन

राजीव गांधी पंचायत राज व्यवस्था को सृदृढ़ करने के प्रतिबद्ध थे। उन्होंने 05 मई 1989 में दिल्ली में मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था ''हम शक्तिशाली क्रान्ति की दहलीज पर खड़े हैं ये ऐसी क्रान्ति है जो प्रजातन्त्र को करोड़ों भारतीयों के दरबाजे पर ला देगी।''[2] उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था में सुधार को शक्तिशाली क्रान्ति का नाम दिया। इसी प्रतिबद्धता के आलोक में सन् 1989 को सरकार द्वारा पंचायत राज व्यवस्था से सम्बंधित चौसठवाँ संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। परन्तु लोक सभा से पारित हो कर राज्य सभा में पारित न हो सका। सन् 1990 में वी0 पी0 सिंह द्वारा इसी संदर्भ में एक अन्य विधेयक संसद में प्रस्तुत किया परन्तु वी0 पी0 सिंह के सरकार गिर जाने के कारण यह विधेयक भी असफल हो गया। सन् 1991 में पी0वी0 नरसिंह राव ने पुराने विधेयक में कुछ संशोधन करते हुए संसद में 73वाँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को संसद ने 1992 में पारित कर दिया और 1993 में राज्यों ने भी अपना अनुमोदन दे दिया। अतः 1993 में पंचायत राज संस्थाऐं संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा बन गयीं। 73वें संविधान संशोधन के बाद अनेक राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था प्रारम्भ हुयी और आज समस्त राज्यों में यह व्यवस्था लागू है।

सन् 1993 के संविधान संशोधन (73वाँ) अधिनियम के बाद राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे अपने पंचायती राज अधिनियम में यथोचित परिवर्तन करके उसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप बनाये। संक्षेप में 1993 के संविधान संशोधन (73वाँ) अधिनियम के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं:

1. प्रत्येक राज्य में ग्राम–स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगी जिसमें गांव के मत देने वाले मतदाता सम्मिलित होंगे।
2. प्रत्येक राज्य में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी (उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20,00,000 से कम है)। पंचायतें ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर होंगी।
3. तीनों स्तर की पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा।
4. तीनों स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य सरकारें विधानसभा में कानून बनाकर सुनिश्चित करेंगी। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों को पंचायत सदस्यों को पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।
5. प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् अनिवार्य रूप से राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन और नियन्त्रण में चुनाव सम्पन्न होंगे। जहाँ पंचायतें निलम्बित होंगी वहाँ छह माह के भीतर चुनाव कराये जायेंगे।
6. पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में से एक – तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यही स्थिति पंचायतों के अध्यक्षों के सम्बन्ध में रहेगी।
7. पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। पंचायतें पथकर, कर और फीस लेकर अपनी आय कर सकती हैं। राज्य वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का आंकलन करेगा और तद्नुसार अनुदान देने की अनुशंसा करेगा।
8. पंचायतों को अपना लेखा–जोखा रखना होगा। इसके लिए राज्य विधानसभा कानून बनायेगी। लेखों का लेखा–परीक्षण होगा।
9. पंचायती राज संस्थाएँ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण कार्यों से सम्बन्धित योजनाएँ तैयार करेंगी। साथ ही कृषि, ग्रामीण आवास, जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी।

संविधान संशोधन (73वाँ) अधिनियम, 1992 के पश्चात् कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है। ये राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कुछ अन्य राज्यों में पंचायती राज की दिशा में पर्याप्त सांविधिक संशोधन किये गये हैं। ऐसे राज्य हैः असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर, प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों में परिवर्तन किया गया है। कुछ राज्यों में दो तीन स्तर तथा कुछ राज्यों में एक से दो स्तर कर दिये गये हैं।

उ0प्र0 में पंचायत राज व्यवस्था का सांगठनिक परिदृश्य

उ0प्र0 के पंचायत राज का एक ढांचा है। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनिश्चित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू होते ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायती राज अधिनियमों

अर्थात् उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में आपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था जिसके द्वारा किया गया संस्तुतियों के अध्ययनोपरान्त वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की गयी। ''उत्तर प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व सम्पन्न करने के लिए कटिबद्ध है''।[3]

उ0प्र0 में पंचायत राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं–

1. ग्राम पंचायत
2. क्षेत्र पंचायत
3. जिला पंचायत

ग्राम सभा

''ग्राम के वयस्क व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो के समूह को ग्राम सभा कही जाएगी। ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा होगी यदि ग्राम सभा की स्थापना अन्य ग्रामों के समूह को मिलाकर बनायी जाती है तो सम्मिलित ग्रामों में अधिक जनसंख्या वाले ग्राम को ही ग्राम सभा की जाएगी।''[4]

''ग्राम सभा से तात्पर्य उस निकाय से है जिसमें पंचायत क्षेत्र के किसी ग्राम से सम्बन्धित मतदाता सूची पंजीकृत व्यक्ति शामिल हो। ग्राम सभा राज्य के विधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग तथा कार्यों का निष्पादन ग्राम स्तर पर कर सकती है। इस प्रकार 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक ग्रामवासी को अपना भविष्य सुनिश्चित करने का एक सहज अधिकार मिला है, ग्राम सभा वह मंच है जहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब भी अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपना योगदान कर सकते हैं''।[5]

ग्राम सभा की दो कार्यकारिणी संस्था होगी–

1. ग्राम पंचायत।
2. भूमि प्रबन्धक समिति (एल.एम.सी)

ग्राम सभा की बैठकेः ''ग्राम सभा की प्रतिवर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद जो एतद् पश्चात् खरीफ की बैठक कही जायेगी और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद (जो एतद् पश्चात् रबी बैठक कही जायेगी)''[6] जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी।

''ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होंगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।''[7] अर्थात ग्राम सभा की बैठक में ग्राम के समस्त वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत ग्राम क्षेत्र में जनता की संसद है ग्राम पंचायत का गठन 1000 या उससे अधिक की जनसंख्या पर होगा लेकिन राजस्व गाँव को या उसके मझरे को तोड़ा नहीं जा सकता यदि राजस्व गाँव की जनसंख्या 1000 से कम है तो उस गाँव में मझरे या नजदीकी गाँव को सम्मिलित किया जा सकता है। इन गाँवों में जिस गाँव की जनसंख्या सबसे अधिक होगी ग्राम पंचायत उस गाँव के नाम से जानी जाएगी इस पंचायत क्षेत्र के नाम पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। प्रधान तथा 2/3 सदस्यों के चुनाव होने पर पंचायत का गठन कर दिया जायेगा।

ग्राम पंचायतों में आरक्षण

प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत में चक्रानुसार से आबंटित किया जायेगा। आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुछ संख्या के 1/3 स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आबंटित किये जायेंगे।

वित आयोग

73 वें संविधान संशोधन के द्वारा समस्त राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को समुचित संसाधन आबंटित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया जिसका महत्वपूर्ण कार्य पंचायती संस्थाओं को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

जनसंख्या वार ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ''ग्राम पंचायत में एक प्रधान और निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों एवं सदस्यों का निर्धारण किया जाएगा।''[8]

ग्राम पंचायत की सदस्यता अथवा प्रधान के लिए अर्हताः–

1. ''निर्वाचन के समय निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
2. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत का कोई कर बकाया न देय हो।
3. न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी न हो।
4. पागल अथवा दिवालिया न हो।
5. ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से वेतन प्राप्त न करता हो।
6. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी अन्य स्थानीय निकाय (नगरपालिका,निगम बोर्ड आदि) में किसी लाभ के पद पर न हो।
7. नशीली दवाओं के एक्ट में अन्तर्गत दोषी न हो।
8. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार किसी स्थानीय निकाय या न्याय पंचायत की सेवा दुराचरण के कारण निकाला न गया हो।
9. पंचायत सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषी न हो।
10. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व आबकारी एक्ट के अन्तर्गत दोषी सिद्ध होने पर तीन माह से अधिक समय जेल में न रहा हो।

11. पंचायत एक्ट की किसी धारा के कारण पद से न हटाया गया हो।

ऊपर लिखे बिन्दु 1,3,4,9,10 की अयोग्यता दोष सिद्ध होने/सजा काटने के 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी और तब चुनाव लड़ा जा सकता है।''[9]

ग्राम प्रधान का निर्वाचन–''प्रधान व ग्राम पंचायत के सदस्य स्थापन के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) के निर्देषों के अनुरूप गुप्त मतदान द्वारा कराया जायेगा। ग्राम पंचायत का प्रधान ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।''[10] जिसका कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक होगा।

उपप्रधान का निर्वाचनः राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के आधार पर उपप्रधान का निर्वाचन किया जायेगा ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से गुप्त मतदान कराकर उप–प्रधान का चुनाव किया जायेगा, इस चुनाव में ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के आधार पर निर्वाचन किया जायेगा तथा इसका कार्य काल ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा। ''उपप्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 14 के उपलब्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।''[11]

निर्वाचन सम्बन्धी विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक– ''किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही या दिए गए किसी निर्णय की वैधता के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिता न होगी।''[12]

''ग्राम पंचायत प्रधान की मृत्यु होने या उस पद से हटाये जाने या त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से प्रधान का पद रिक्त हो या बीमारी या अनुपस्थिति के कारण प्रधान अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो प्रधान के समस्त कार्य उपप्रधान करेगा यदि प्रधान व उपप्रधान दोनों का पद किसी कारण से रिक्त हो तो जिला मजिस्ट्रेट पंचायत के किसी सदस्य को प्रधान कार्य करने को नामित करेगा।''[13]

भूमि प्रबन्धक समिति

उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धक समिति विषय संग्रह में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक गाँव सभा पंचायत उसकी भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी और अपनी इस हैसियत से उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम सम्पत्ति 1950 की धारा के अधीन निहित सभी सम्पत्ति और सभी ऐसे अन्य सम्पत्ति के रखरखाव सुरक्षा तथा देखभाल सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य

भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है। भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यः भूमि प्रबन्धक समिति पर (ग्राम पंचायत)[14] के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28–क में अभिदिष्ट समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, के सामान्य प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा।

1. भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन (ग्राम पंचायत)[15] में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है।
2. वन तथा वृक्षों का परिरक्षण अनुरक्षण तथा विकास।
3. आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास।
4. हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध।
5. जलाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास।
6. जोत चकबंदी में सहायता देना।
7. (ग्रामपंचायत)[16] द्वारा या उसके विरूद्ध समिति के कृत्यों सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन उनसे अद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन।
8. उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उ0प्र0) अधिनियम संख्या–01,1951) अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के विशेषतः अश्यर्पित कृत्यों का सम्पादन।
9. ऐसे प्रबन्ध परिक्षण तथा नियंत्रण से सम्बन्ध कोई अन्य विषयों जो नियत किया जाये और वह (ग्राम पंचायत)[17] उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या आनुशंगिक हो।[18]

भूमि प्रबन्धक समिति के उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपना कार्य करेगी।

28–ग भूमि प्रबन्धक समिति के संविदा आदि के भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य या अधिकारी कोई लाभ नहीं उठायेंगे–(ग्राम पंचायत) या भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी, कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना जानते हुए सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के या उसकी ओर से किसी लाइसेंस पट्टा क्रय विनिमय संविदा या व्यवसाय में कोई अंश या स्वत्व न तो अर्पित करेगा और न उपार्जित करने का प्रयास करेगा परन्तु प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से यह न समझा जायेगा कि अपने कोई अंश या स्वतत्व अर्जित किया है या अर्जित करने का प्रयास किया है।

1. ''जबकि उसे सदस्य या पदाधिकारी होने से पूर्व कोई स्वत्व अर्जित किया है।
2. जबकि उस ज्वाइन्ट कम्पनी में जिसने की भूमि प्रबन्धक समिति से संविदा की है और अंशधारण करता हैं।
3. जबकि वह ऐसी वस्तु के जिसमें वह किसी एक वर्ष में 50 रू0 से अधिक मूल्य तक का नियमित रूप से व्यापार करता हो सम्बन्धित समिति के माध्यम से यदा–कदा किये जाने वाले विक्रय में अंश या स्वत्व धारण करता है।
4. कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी किसी व्यक्ति के कहने पर ऐसे किसी सौदे पर आधारित दावा प्रवर्तित नहीं करेगा जो उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लंघन करता हो।''[19]

न्याय पंचायत

उ0प्र0 सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को उतने सर्किलों में विभाजित करेगा जितने जनसंख्या के आधार पर आवश्यकता होगी। इसमें निकटतम् ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें मिलाकर एक पंचायत बनाई जायेगी जिसे न्याय पंचायत की स्थापना का स्वरूप दिया जायेगा।

''(राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किल में विभाजित करेगा और (ग्राम पंचायत) की अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने क्षेत्र समाविष्ट होंगे जितने इष्टकर हों तथा ऐसे प्रत्येक सर्किल के लिखित एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा)।''[20]

पंचो का निर्वाचन

प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या जिन्हें पंचों का स्वरूप दिया जा सकेगा कम से कम 10 व अधिक से अधिक 25 होगी। न्याय पंचायत में सदस्यों का चयन सम्मिलित ग्राम पंचायत सदस्यों में से किया जायेगा। यदि किसी ग्राम पंचायत से पंचो की नियुक्ति नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में उसकी ग्राम सभा सें योग्य व्यक्तियों का चयन नियत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा पंचों में से ही सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वान किया जायेगा दोनों ही अलग–अलग खण्डपीठ (बेंच) बनेगी प्रत्येक खण्ड पीठ में कम से कम पांच–पांच सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल ग्राम पंचायत निर्वाचन के कार्यकाल के समान होगा। पंचों का त्याग–पत्रः–''पंच, सरंपच, अथवा सहायक सरपंच ऐसे अधिकारी को जो नियत किया जाये, सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा इस प्रकार अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायेगा।''[21]

न्याय पंचायत की न्यायपीठ

सरपंच न्याय पंचायत के समझ आने वाले आपराधिक वादों तथा जाँचो के निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनायेगा जिसे प्रत्येक के पांच पंच होंगे।''(न्यायपीठों के बनाये जाने अथवा उनके कार्यप्रणाली के ढंग से सम्बन्धित कोई विवाद नियत अधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा)''[22]

क्षेत्र पंचायत

पंचायती राज व्यवस्था के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपरान्त उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी पहले इसे क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता था ये क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड के नाम पर होगी, क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों की एक समूह संस्था है, राज्य सरकार द्वारा विकास खण्ड में इसका एक समूह संस्था है, राज्य सरकार द्वारा विकास खण्ड में इसका एक कार्यालय होगा, इस मध्यवर्ती स्तर पर पहली बार जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होगा, इसके साथ –साथ पूर्व की भाँति कोई नामित सदस्य का चयन नहीं होगा वर्तमान पद्धति में निर्वाचित तथा पदेन सदस्यों की व्यवस्था होगी अन्य पंचायत स्तरों की भाँति इस व्यवस्था में आरक्षण सदस्यों की संख्या के आधार पर होगा ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य क्षेत्र पंचायत के सदस्य कहलायेंगे। जो अपने ग्राम की समस्यायें, विकास योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्थान, पेयजल व्यवस्था सम्पर्क मार्ग इत्यादि को क्षेत्र पंचायत में विचारार्थ रखेंगे और समस्याओं का निदान क्षेत्र पंचायत की बैठक में करायेंगे।

गठन

क्षेत्र पंचायत में ग्राम पंचायत के समस्त प्रधान क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य लोकसभा राज्य सभा के सदस्य विधान सभा विधान परिषद के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे तथा क्षेत्र पंचायत का गठन करेंगे। प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायत के प्रधान लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य तो होंगे वे अपनी राय, प्रस्ताव का अनुमोदन भी करेंगे लेकिन क्षेत्र पंचायत के किसी भी निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

पंचायत क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2000 की जनसंख्या पर होगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में से ही प्रमुख व उपप्रमुख के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में ग्राम पंचायत का है।

जिला पंचायत

उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला परिषद के स्थान पर जिला पंचायत की स्थापना की गई। 'पचायती राज व्यवस्था की त्रि–स्तरीय प्रणाली के अन्तर्गत जिला पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था है। समस्त जिले के विकास सम्बन्धी जिला स्तरीय अधिकारी गण इस संस्था के केन्द्र बिन्दु हैं। नगरीय क्षेत्र नगर पंचायत व टाऊन एरिया को छोड़कर समस्त ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिला पंचायत करती है, जिला पंचायत का नाम जिले के नाम पर होता है तथा प्रत्येक जिला पंचायत एक नियमित निकाय होती है।

गठन

उ0प्र0 सरकार समस्त जिले के गठन के लिए अधिसूचना जारी करके जिला पंचायत का गठन करेगी यह गठन उस जिले के नाम पर होगा । जिस जिले में जिला पंचायत बनेगी। जिला पंचायत में पंचायत क्षेत्रों क्षेत्र पंचायत वार्ड वार एक सदस्य का निर्वाचन होगा जिसे जिला पंचायत सदस्य कहा जायेगा जिला पंचायत के प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 50,000 से कम नहीं होगी। जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पंचायतो के निर्वाचन क्षेत्रों से बनेंगे। जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को बनाते समय क्षेत्र पंचायतों के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बनाते समय क्षेत्र पंचायतों के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को तोड़ा नहीं जाएग, पर्वतीय क्षेत्र में 07 किलोमीटर की परिधि में जिला पंचायत का एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा चाहे उसकी जनसंख्या 50,000 से कम ही क्यों न हो। ''जिला पंचायत के सदस्य राज्य सभा, लोक सभाा, विधानसभा विधानपरिषद के सदस्य एवं क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख होंगे यह सदस्य जिला पंचायत की बैठक व कार्यवाही में भाग ले सकेंगे और अपना मत दे सकेंगे। लेकिन अध्यक्ष या

उपाध्यक्ष के चुनाव या उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेंगे जिला पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। अगला चुनाव कार्यकाल के पूरा होने के 06 महीने पहले कराने की अनिवार्यता है।''[23] पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 50,000 की जनसंख्या पर होगा। जिला पंचायत के सदस्यों में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत का है।

पंचायत की बैठके

''जिला पंचायत की बैठक दो माह में एक बार होनी आवश्यक है।''[24] बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा बैठक का कोरम पूरा होने के लिए कम से कम 1/5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिला पंचायत के सदस्य यदि बैठक बुलाना चाहते हैं तो 1/5 सदस्य एक लिखित आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष उनकी मांग पर विशेष बैठक का आयोजन करेगा। बैठक में विशेषतः आय व्यय बजट वार्षिक योजनाएं, कर शुल्क व उपशुल्क इत्यादि प्रस्ताव लिखे जायेंगे, इसके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, हाट, मेला बाजार भवन निर्माण, उद्यान निर्माण वानिकी व्यायामशाला मत्स्य पालन इत्यादि प्रस्ताव पारित होंगे तथा वे समस्त प्रस्ताव एवं योजनाएं प्रस्तावित होंगी जिन्हें जिला पंचायत आवश्यक समझे।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना इसलिए की गयी थी कि हमारे गाँव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी बनें और उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो परन्तु साठ के दशक में अपनी स्थापना के बाद पंचायती राज संस्थायें अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं, इनकी सांगठनिक संरचना एवं कार्यप्रणाली ऐसी थी कि वे एक सरकारी विभाग की तरह काम करती रहीं इससे न तो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सपना साकार हो पाया और न ही ग्रामीण स्तर पर जन सहभागिता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। अस्सी के दशक में बदली हुई परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों की पंचायतीराज के प्रति रूचि बढ़ी और इन सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में गम्भीर प्रयास प्रारम्भ किये जिसके परिणामस्वरूप सन् 1992 में 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य उन प्रावधानों एवं तत्वों को उद्घाटित करना है जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। तथा सांगठनिक स्तर पर लागू प्रावधानों ने किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया। यह शोध पत्र मूलतः उ0प्र0 में लागू किये गये पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित है। अतः इसमें उन संशोधनों और परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। अर्थात उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 में आपेक्षित संशोधन करके किस प्रकार पंचयात राज व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था के रूप में मूर्त रूप दिया गया है?

प्रासंगिकता एवं निष्कर्ष

स्थानीय संस्थाओं विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के सन्दर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इन संस्थाओं के दोषपूर्ण संवैधानिक संगठन के कारण ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती और जनसामान्य की सहभागिता को भी आकर्षित नहीं करतीं। पर्याप्त सत्ता का अभाव, दुर्बल वित्तीय स्थिति, अत्याधिक केन्द्रीय नियन्त्रण, सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के बीच सम्बन्धों की समस्या आदि के कारण पंचायती राज संस्थाऐं अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इसी कारण पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित समितियों ने यह सुझाव दिया की स्थानीय संस्थाओं और विशेषकर पंचायतीराज संस्थाओं के सांगठनिक ढाँचे में परिवर्तन करके इन्हें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाली संस्थायें बना देना चाहिए और इनकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करना चाहिए। 73वाँ संविधान संशोधन इस दिशा में एक मील का पत्थर है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को न केवल एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया बल्कि इनके सांगठनिक कार्य प्रणाली को इस प्रकार परिवर्तित किया। जिससे इनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

73 वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाया गया है। वर्तमान समय में पंचायती राज के निर्वाचित पदाधिकारी एवं सरकारी अधिकारियों के सम्बन्धों को पुर्न परिभाषित किया गया है अब निर्वाचित पदाधिकारी सरकारी अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी न होकर अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं का एक ओर महत्व बढ़ा है दूसरी ओर इनमें जन सहभागिता की वृद्धि हुई है। पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए बाहरी अवरोधों के हटाने के साथ–साथ आन्तरिक सुधारों की भी आवश्यकता थी। जिससे वे स्थानीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन में अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा सकें। इस सम्बन्ध में यह सर्वसहमति से स्वीकार किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अधिक आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व दुर्बल वर्गों की इन संस्थाओं द्वारा उपेक्ष की गई जिससे इन वर्गों की सहभागिता सीमित रही एवं ये संस्थायें व्यावहारिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकीं। 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये इनमें से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। पंचायती राज व्यवस्था में यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था जिससे इन संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों की सहभागिता में वृद्धि हुई। जहां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दुर्बल वर्गों के लिए विकास कार्य किया गया है वहाँ इनकी सफलता काफी आकर्षित रही है। ''केरल राज्य में राज्य सरकार ने

पंचायतों के माध्यम से एक लाख मकान बनाने की योजना प्रारम्भ की और स्थानीय सहभागिता के कारण इस कार्यक्रम की उपलब्धि काफी सन्तोषजनक रही है।''[25] अतः यह कहा जा सकता है कि 73 वें संविधान संशोधन द्वारा जो परिवर्तन किये गये उससे ये संस्थायें अपेक्षाकृत सशक्त, स्वायत्त और आत्मनिर्भर हुई हैं। जिससे हम इन संस्थाओं से अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *कोठारी रजनी : 2008 ''पॉलिटिक्स इन इण्डिया'', ओरिएन्ट ब्लैकश्वान, प्रा0 लि0 हिम्मत नगर, हैदराबाद, आन्द्र प्रदेश, पृ0 सं0 32.*
2. *डब्लू.डब्लू.डब्लू. एम. इण्डिया टुडे इन (www.mindiatoday.in)*
3. *डब्लू.डब्लू.डब्लू. पंचायतीराज यू पी. एन. आई. सी.इन (www.panchayatiray.up.nic. in)*
4. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–09, 1994।*
5. *भारत 2004, पृष्ठ सं0– 629*
6. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–09, 1994।*
7. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम पृष्ठ सं0–21*
8. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–29, 1995।*
9. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–21, 1995।*
10. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–09, 1994।*
11. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–09, 1994।*
12. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–02, 1995।*
13. *पंचमार्गी, उ0प्र0 ग्राम पंचायत प्रशिक्षण पुस्तिका 1997।*
14. *उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम संख्या–09, की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।*
15. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–09, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।*
16. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–09, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।*
17. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–09, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।*
18. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–37, 1978 की धारा 08 द्वारा प्रतिस्थापित।*
19. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–33, 1961क की अनुसूची 08 (2) द्वारा बढाया गया।*
20. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–02, 1955 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।*
21. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–09, 1994 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।*
22. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–02, 1995 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।*
23. *पंचायतीराज प्रशिक्षण मार्ग दर्शिका, पृष्ठ सं0–79।*
24. *उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–09, 1994।*
25. *जैन एस.पी. और मुथै याबी.सी.: केरल में पंचायती राज लेख जो पैटनर्स ऑफ पंचायतीराज इन इण्डिया में प्रकाशित, 1977, पृ0. 161, सम्पादक जी. रामारेड्डी हैं।*